क्रमांक 4500-1 जी0 एस 0-1-75/25009

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़ 22 अगस्त, 1975 ।

विषय:- पंजाब सिविल सर्विसिज रुल्ज वाल्यूम-II के रुल 2.2 (बी) में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध उसकी रिटायरमैंट से पहले आरम्भ की गई विभागीय कार्यवाही की रिटायरमैंट के बाद भी जारी रखने के लिए कराइटेरिया का अपनाना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाऊ और कहूं कि पंजाब सिविल सर्विसिज रुल्ज, वाल्यूम-II केरुल 2.2 (बी) में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3548-2 एफ0 आर0-72/24080, दिनांक 24-7-1972 द्वारा संशोधित) यह व्यवस्था है कि किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उसके द्वारा किये गये मिसकण्डक्ट के कारण या सरकार को पहुंचाई गई वित्तीय हानि के कारण उसकी रिटायरमैंट से पहले आरम्भ की गई विभागीय कार्यवाही को उसकी रिटायरमैंट के बाद भी पैन्शन में कटौती के लिये उसी प्रकार जारी रखी जा सकती है जैसे उसकी सेवा में होते हुए रखी जानी है चाहे यह विभागीय कार्यवाही पंजाब सिविल सर्विसिज पनिशमैंट एण्ड अपील) रुल्ज, 1952 के रुल 7 (जो मेजर पैनल्टी के लिये होती है) या रुल 8 (जो माईनर पैनल्टी के लिये होता है) के तहत आरम्भ की गई हो व इस बारे में कोई distinction नहीं है। पैन्शन में कटौटी के लिये अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध उसकी रिटायरमैंट के बाद जारी रखी जाने वाली विभागीय कार्यवाही के बारे में कोई कराईटेरिया अपनाने के लिये प्रश्न सरकार के विचाराधीन था अत: सरकार ने ध्यान पूर्वक विचार करके समानता के लिये यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त रुल 2.2 (बी) के तहत पैन्शन में कटौती के लिये किसी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध उसकी रिटायरमैंट से पहले आरम्भ की गई केवल ऐसी विभागीय कार्यवाही की उसको रिटायरमैंट के बाद जारी रखा जाये जो कि पंजाब सिविल सर्विसिज (पनिशमैंट एण्ड अपील) रुल्ज 1952 के नियम 7 (जो मेजर पैनल्टी के लिये होता है) के अन्तर्गत आरम्भ की गई थी तथा नियम 8 (जो माईनर पैनल्टी के लिये होता है) के तहत आरम्भ की गई विभागीय कार्यवाही को रिटायरमैंट के बाद जारी न रखा जाये । इन हिदायतों के बारे में वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त कर ली गई है । आपसे अनुरोध है कि भविष्य में उपरोक्त हिदायतों को ध्यान में रखा जाये तथा अपने अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में भी ला दी जायें ।

2. कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाये ।

भवदीय,
हस्ता-
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

वित्तायुक्त तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।